न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–10/अ–59/2017–18/ 11663 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 61 रा. नि. मं. बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार नायब तहसीलदार आमला (बोरदेही वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम खेड़ली बाजार में आबादी घोषित करने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण, आवासीय पट्टा वितरण में कठिनाई होने के कारण कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 1–3–2017 को ग्राम खेड़ली बाजार में आयोजित अनुश्रवण एवं जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम बम्हनी स्थित खसरा नंबर 2 एवं 25 रकबा क्रमशः 2.185 हेक्टेयर तथा 0.142 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । मौका जॉच करने पर खसरा नंबर 2 रकबा 2. 185 हेक्टेयर पर ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण करना पाया गया मौके पर ऑवला आदि प्रजाति के वृक्ष खड़े है। ग्राम खेड़ली बाजार तथा बम्हनी की सरहद से लगे खसरा नंबर 2 मे 0.400 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान मद की टेकड़ीनुमा भूमि खाली पड़ी है, जिसमें कहीं कही छोटे छोटे ऑवले के 10–15 वृक्ष खड़े है, इस भूमि को आबादी घोषित किया जा सकता है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार आमला द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा बम्हनी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 02 रकबा 2.185 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.400 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 25 रकबा 0.142 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 01–3–2017 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा बम्हनी स्थित खसरा नंबर 2 रकबा 2.185 हेक्टेयर में से 0.400 तथा खसरा नंबर 25 रकबा 0.142 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा के अनुसार मौजा बम्हनी स्थित खसरा नंबर 2 एवं 25 रकबा क्रमशः 2.185 हेक्टेयर तथा 0.142 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार उक्त दोनो खसरा नंबर पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)– प्रश्नाधीन दोनो खसरा नंबर वनखण्ड में शामिल नहीं है।

(5)– नायब तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा बम्हनी स्थित खसरा नंबर 02 रकबा 2.185 हेक्टेयर में से 0.400 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 25 रकबा 0.142 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

(5)

4— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा बम्हनी तहसील आमला स्थित पहाड़ चट्टान मद की भूमि खसरा नंबर 02 रकबा 2.185 हेक्टेयर में से 0.400 हेक्टेयर (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) तथा खसरा नंबर 25 रकबा 0.142 हेक्टेयर भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क0:— 10/अ—59/2017—18/ 11663 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपि:—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) आमला ।

2— नायब तहसीलदार आमला ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत खेड़ली बाजार जनपद पंचायत आमला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

31/10/2017